



राजस्थान सरकार
निदेशालय महिला अधिकारिता
पता:- जे-7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, राजस्थान, जयपुर,
दूरभाष नम्बर-01412716404, 454, 422




क्रमांक: प 7(1)()निमअ/स्टोर/कि.वाहन/2016-17/ 6122 जयपुर,दिनांक:- 6/3/20

आदेश

विषय:- महिला अधिकारिता विभाग में वर्ष 2020-21 हेतु कुल 43 किराये के वाहनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।

महिला अधिकारिता विभाग में निम्न विवरण अनुसार वर्ष 2020-21 हेतु (दिनांक 01 मार्च, 2020 से 28 फरवरी, 2021 तक भुगतान हेतु) वित्त विभाग की आई.डी. सं.- 162000228 दिनांक 04.03.2020 की पालना में कुल 43 किराये के वाहनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 19.07.2018 एवं 28.02.2019 की दरों एवं शर्तों की पालना सुनिश्चित किये जाने की शर्त पर एतद्वारा प्रदान की जाती है:-

क्र. सं.	लेखाशीर्ष	स्वीकृत वाहनों की संख्या	वर्ष 2020-21 हेतु किराये पर लिये जाने हेतु वाहनों की संख्या	विवरण	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
निदेशालय स्तर पर					
1	2235-02-103-05-01-36 (राज्य निधि)	3	3	1. निदेशक 2. परियोजना समन्वयक (जैण्डर) 3. अति.निदेशक, म.अ.	निदेशक के वाहन के अतिरिक्त अन्य वाहनो का उपयोग पूल बनाकर किया जायेगा।
2	2235-02-103-12-00-36 (राज्य निधि)	1	1	अति.निदेशक SHG	
3	2235-02-103-05-18-36 (राज्य निधि प्रतिबद्ध)	3	3	1.वित्तीय सलाहकार 2.महिला संरक्षण प्रकोष्ठ 3. राजकीय वाहन RJ-14-CF-9925 की एवज में (वित्त विभाग की आई.डी. न. 161901086 दि. 21.11.2019)	
4	2235-02-196-02-10-05 (केन्द्र : राज्य) CA & SF	1	1	1. राज्य महिला संदर्भ केन्द्र (वित्त विभाग की आई.डी. न. 161800564 दि. 02.05.2018)	
जिला स्तर पर					
5	2235-02-196-02-29-36 (राज्य निधि प्रतिबद्ध)	32	32	सहायक निदेशक	सहायक निदेशक का पद रिक्त होने पर वाहन किराये पर नहीं लिया जायेगा।
महिला आयोग कार्यालय					
6	2235-02-103-10-00-12 (राज्य निधि प्रतिबद्ध)	3	3	1. रजिस्ट्रार-सह- विशेषाधिकारी, राज्य महिला आयोग 2. सदस्य सचिव, राज्य महिला आयोग 3. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, राज्य महिला आयोग (वित्त विभाग की आई. डी. न. 161800794 दि. 11.07.2018)	
कुल		43	43		


(प्रकाश चन्द पवन)
निदेशक
महिला अधिकारिता



क्रमांक: प 7(1)()निमअ/स्टोर/कि.वाहन/2016-17/ 6123-134 जयपुर,दिनांक:- 6/3/2020
प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर।
3. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक, महिला अधिकारिता, जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-2) विभाग, राज., जयपुर।
5. निदेशक (बजट), वित्त विभाग, राज., जयपुर।
6. अतिरिक्त निदेशक, म.अ., वित्तीय सलाहकार, अतिरिक्त निदेशक (SHG), परियोजना समन्वयक (जैण्डर), मुख्यालय, जयपुर।
7. रजिस्ट्रार-सह-विशेषाधिकारी, राजस्थान राज्य महिला आयोग, जयपुर।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद संबंधित
9. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, संबंधित
10. सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य महिला आयोग, जयपुर।
11. सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता, जिला
12. बिल प्रशाखा, निदेशालय महिला अधिकारिता, जयपुर।
13. रक्षित पत्रावली।

प्रभारी अधिकारी (पूल)
महिला अधिकारिता